प्रेस नोट **22.03.2024**

तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 22.03.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रोडवेज घोसी के पास से अभियुक्त मनोज पुत्र दशरथ निवासी बसियारामपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया इस संबंध मे उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की एक मोबाइल के साथ 01 शातिर चोर गिरफ्तार-

आज दिनांक 22.03.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर वलिदपुर मोड़ के पास से वांछित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी बोझी थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक मोबाइल (रेडमी) बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/24 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411,413,414 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी के आभूषण, टीवी, कैमरा, चार्जर, युएसबी व डीवीआर तथा 7000 रुपये के साथ 01 शातिर चोर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 22.03.2024 को रात्रि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मुंशीपुरा ओवरब्रीज के पास से वांछित अभियुक्त मुहम्मद अब्दुल पुत्र मुहम्मद अली निवासी बड़ी कम्हरीया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ (02 नाबालिग पुलिस अभिरक्षा में) के कब्जे से सफेद/पीली धातू के आभूषण, टीवी, कैमरा, चार्जर, युएसबी व डीवीआर तथा 7000 रुपये बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/24 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुहम्मद अब्दुल पुत्र मुहम्मद अली निवासी बड़ी कम्हरीया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

बरामदगी-

01. सफेद/पीली धातू के आभूषण।
02. टीवी, कैमरा, चार्जर व युएसबी तथा डीवीआर।
03. 7000 रुपये

18 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त बेचू राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी अरदौन, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा राजेश राजभर पुत्र घुरा राजभर निवासी साहुपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मृत्युन्जय पुत्र गुलाब निवासी भीटी, सरायलखन्सी पुलिस द्वारा खालिद पुत्र इफ्तेदार अहमद निवासी बुनकर कॉलोनी, आद्या भारती पुत्री रुपचन्द्र निवासी ताजोपुर, अनिता गुप्ता पत्नी दीपक गुप्ता निवासी बढुआगोदाम, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राजू पुत्र शिवदत्त, मीना पत्नी रामाकान्त निवासीगण मीरपुर, सनकेसी पत्नी रघुनाथ निवासी फतेहपुर, सुरज सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी सिकरिकोल, रामचन्द्र पुत्र स्वामीनाथ निवासी मोलनापुर मिश्रौली थाना रामपुर पुलिस द्वारा विनोद पुत्र जयनाथ, नीतू, बुना पुत्री जयनाथ, प्रभावती पत्नी जयनाथ निवासी बेलौली रामपुर थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सुनील कुमार राय पुत्र ऋषिदेव राय निवासी कुसुम्हा थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा कृष्णानन्द पाण्डेय पुत्र ओमकारनाथ पाण्डेय निवासी मिर्जाहादीपुरा, थाना घोसी पुलिस द्वारा सुदर्शन पुत्र दुर्जन निवासी अहमदपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 22.03.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा भारी संख्या में अर्धसैनिक बल व जनपदीय पुलिस बल के साथ थाना कोपागंज क्षेत्र के संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल गस्त के दौरान जगह-जगह पर आमजन से वार्ताकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया गया तथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोपागंज सहित भारी संख्या में अर्धसैनिक बल व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने को लेकर आज दिनांक 22.03.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में पूरे जनपद में समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अर्द्धसैनिक बलों व जनपदीय पुलिस बल के साथ एरिया डॉमिनेशन/पैदल गस्त कर शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 22.03.2024 को यातायात व जनपदीय पुलिस द्वारा मऊ नगर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें चारपहिया वाहनों में काली फिल्म, सीटबेल्ट, ओवर स्पीड तथा शराब पीकर वाहन चलाने आदि की चेकिंग की गयी वहीं दोपहिया वाहनों में तीन सवारी, बिना हेलमेट तथा मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लघंन करने वाले, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले एवं निर्धारित मानको का उल्लघंन करने वाले वाहनों की चेकिंग की गयी। इस दौरान लोगों

को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुये विभिन्न यातायात नियमों के बारे मे जानकारी प्रदान की गयी।

पीस कमेटी मीटिंग थाना टोला ....श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के आदेश अनुपालन में आज दिनांक 22 मार्च 2024 को आगामी त्यौहार होली रमजान आदि के दृष्टिगत थाना दक्षिण टोला के शांति समिति के सदस्यों के साथ डीजे वालों के साथ तथा होली के संबंध में जुलूस निकालने वाले लोगों को थाने पर बुलाकर सभी के साथ में बैठक की गई बैठक में सभी को वरिष्ठ अधिकारी गण से प्राप्त आदेश निर्देश से अवगत कराते हुए हिदायत मुनासिब दी गई

आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 22.03.2024 को थाना दक्षिणटोला व मधुबन में पीस कमेटी/डीजे संचालकों की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित संभ्रान्त व्यक्तियों, विभिन्न धर्मो के गुरूओं/ मौलवियों को शासन से प्राप्त आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया तथा आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर वार्तालाप किया गया तथा समस्याओं को सुना गया एवं आगमी त्यौहारों को शांतिपूर्वक, आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की गयी।
साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि महत्वपूर्ण स्थलों आदि की निगरानी ड्रोन कैमरे के माध्यम से की जाएगी। जनपद के लगभग सभी महत्वपूर्ण जगहों, चौराहों स्थलों पर पीटीजेड व आइपी कैमरे लगवाये गये है। जिसकी निगरानी सम्बन्धित थानों पर कम्प्यूटर भिज्ञ आरक्षी द्वारा जा रही है। साइबर थाना/सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्मो की निगरानी की जा रही है कोई भ्रामक खबर, आपत्तिजनक कमेन्ट करने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे किसी भी कमेन्ट आदि को फारवर्ड न करे तथा पुलिस को सूचित करें। अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।